



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

G20

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या:- 1364

/12-1 देहरादून: दिनांक

8 नवम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/31090/2017)।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के ई०डी०एस० दिनांक 22.08.2024।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त EDS दिनांक 22.08.2024 के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1005/12-1(2) दिनांक 18.10.2024 (प्रति संलग्न) से प्राप्त आख्या/सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :-

क. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam 2023, the CA area is required to be provided over Non-Forest land.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र सी.जी.डी.एल.-अ.-2009/2024-257289 असाधारण भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (i) नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024 सा.का.नि. 582 (अ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1930 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन - किया गया है, जिसके पैरा 2 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात्- "परंतु यह भी है कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है।" (छायाप्रति संलग्न है) (संलग्नक-1) उक्त बाईपास मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि यह मार्ग नेपाल एवं चीन सीमा को जोड़ता है, चीन सीमा के पास सुरक्षा बल तैनात हैं, जिस कारण सामरिक दृष्टि से यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बाईपास मोटर मार्ग के बनने से उक्त सीमाओं को जाने वाले सुरक्षा बलों (आर्मी, आई०टी०बी०पी०, सीमा सुरक्षा बल आदि) को जाम एवं दुर्घटनाओं की स्थिति से बचाया जा सकता है।
2	Detailed reclamation plan for muck dumping area shall be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा डम्पिंग क्षेत्र के लिये विस्तृत सुधार योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	As per the DSS analysis, the proposed diversion area becomes 23.58 ha instead of 8.94 ha. It shall	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग में भूमि निम्न प्रकार से प्रभावित हो रही है-

be rectified.

A- बाईपास मोटर मार्ग की कुल लं० 9.87 कि०मी० है।  
B- बाईपास मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 24 मी०।  
C- बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित क्षे०  $9.870 \times 2.4 = 23.688$  हे०  
प्राइवेट भूमि का विवरण—

क. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	प्राइवेट	6.370	24	15.288	1.662	16.95

बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

क. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	सिविल भूमि	1.550	24	3.72	0.19	3.91
2	वन पंचायत भूमि	1.450	24	3.48	0.15	3.63
3	आरक्षित भूमि	0.500	24	1.20	0.20	1.40
कुल प्रभावित वन भूमि		3.500	24	8.40	0.54	8.94

अतः प्रस्तावक विभाग के अनुसार उक्त बाईपास मोटर मार्ग में कुल भूमि 23.58 हे० प्रभावित न होकर 25.89 हे० प्रभावित हो रही है। जिसमें प्राइवेट भूमि मोटर मार्ग हेतु 15.288 हे०, मलुवा निस्तारण 1.662 हे०, इस प्रकार कुल प्राइवेट भूमि 16.95 हे० प्रभावित हो रही है। वन भूमि में मोटर मार्ग हेतु 8.400 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे०, इस प्रकार कुल 8.940 हे० प्रभावित हो रही है। के०एम०एल० फाईल में सिविल भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, आरक्षित को हरे रंग से एवं प्राइवेट भूमि को भूरा रंग से दर्शाया गया है। के०एम०एल० अपलोड की गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1364 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

प्रातः ७:५५

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1005/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 18/10/2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

चारधाम परियोजना के अर्न्तगत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का सड़क परियहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार की पत्र सं० 8वीं/यू०सी०पी०/०८/112/20218 एफ०री० दि० 22.08.2024

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्वन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 1544/12-1 दिनांक 5.10.2024 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।  
संलग्न- तीन प्रतियों में।

भवदीय

प्रभारी श.राजमार्ग  
आ.का.केर,

डि.स.के.के.के.के.  
24/10/24

दिनांक 16/10/2024  
(डॉ. धीरज पाण्डेय)  
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

वन संरक्षण विभाग, नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
देहरादून  
पत्रांक सं० 1514  
पत्रांक 12-1  
दिनांक 20-10-24

11 0 OCT 2024

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1544 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 5-10-2024

सेवा में,

वन संरक्षक  
उसरी कुनाई पुर,  
उसराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय -

भारतीय परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर विधौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नंत्रालय को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ -

भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०६/112/20218/एफ०सी० दिनांक 22.08.2024 व अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट की पत्र संख्या 1444/चारखान परियोजना/चम्पावत बाईपास दिनांक 23.09.2024

माहौल्य,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा कुछ त्रुटियां अंकित की गयी थी जिसके अनुमालन में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो०नि०वि० द्वारा वगैरह आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023, the CA area is required to be provided over Non-Forest land.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन नंत्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र सी.जी.डी.एल.-अ.-20092024-257289 असाधारण नाग-  -खण्ड 3-उप-खण्ड (i) नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024 सा.का.नि. 582 (अ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नंत्रालय नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1930 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन केंद्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन - किया गया है, जिसके पैरा 2 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात्- "परंतु यह भी है कि, अमवादात्मक परिस्थितियों में जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवकलित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है।" (छायाप्रति संलग्न है) (संलग्नक-1) उक्त बाईपास मोटर मार्ग के सन्दर्भ में प्रस्तावक विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि यह मार्ग नेपाल एवं चीन सीमा को जोड़ता है, चीन सीमा के पास सुरक्षा बल तैनात हैं, जिस कारण सानरिक दृष्टि से यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बाईपास मोटर मार्ग के बनने से उक्त सीमाओं को जाने वाले सुरक्षा बलों (आर्मी, आई०टी०बी०पी०, सीमा सुरक्षा बल आदि) को जान एवं दुर्घटनाओं की स्थिति से बचाया जा सकता है।
2	Detailed reclamation plan for muck dumping area shall be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि नलवा डम्पिंग क्षेत्र के लिये विस्तृत सुधार योजना संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	As per the DSS analysis, the proposed diversion	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग में भूमि निम्न प्रकार से प्रभावित हो रही है-

area becomes 23.58 ha instead of 8.94 ha. It shall be rectified.

A- बाईपास मोटर मार्ग की कुल लं० 9.87 कि०मी० है।

B- बाईपास मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 24 मी०

C- बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित क्षे०  $9.870 \times 2.4 = 23.688$  हे०

प्राइवेट भूमि का विवरण—

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	प्राइवेट	6.370	24	15.288	1.662	16.95

बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित भूमि	कुल क्षेत्रफल (हे०)
1	सिविल भूमि	1.550	24	3.72	0.19	3.91
2	वन पंचायत भूमि	1.450	24	3.48	0.15	3.63
3	आरक्षित भूमि	0.500	24	1.20	0.20	1.40
कुल प्रभावित वन भूमि		3.500	24	8.40	0.54	8.94


अतः प्रस्तावक विभाग के अनुसार उक्त बाईपास मोटर मार्ग में कुल भूमि 23.58 हे० प्रभावित न होकर 25.89 हे० प्रभावित हो रही है। जिसमें प्राइवेट भूमि मोटर मार्ग हेतु 15.288 हे०, मलुवा निस्तारण 1.662 हे०, इस प्रकार कुल प्राइवेट भूमि 16.95 हे० प्रभावित हो रही है। वन भूमि में मोटर मार्ग हेतु 8.400 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे०, इस प्रकार कुल 8.940 हे० प्रभावित हो रही है। कं०एम०एल० फाईल में सिविल भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, आरक्षित को हरे रंग से एवं प्राइवेट भूमि को भूरा रंग से दर्शाया गया है। कं०एम०एल० अपलोड की गयी है।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्तानुसार अपने स्तर से सूचना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(आर०सी० काण्डपाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी


चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



पत्रांक: 1544/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



RD

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

### राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लॉ०नि०वि०, लोहाघाट



संख्या 1444 / चारधाम परियोजना / चम्पावत वनाधिकारी, दिनांक 23/09/2024  
 सेवा 11, प्राप्ति क्रमांक 2955  
 प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत। पत्रावली संख्या 12-1  
 दिनांक 24-9-2024

विषय :- चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125(नया 09) के चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे० वनभूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय को प्रत्यावर्तन।

महोदय,


उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/112/2018/एफ०सी० दिनांक 22/08/2024 के द्वारा उक्त वनभूमि प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां/कमियां इंगित की गयी हैं, तथा कुछ संशोधन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है दस्तावेज निम्न प्रकार प्रेषित है-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) rules 2023, the CA area is required to be provided over Non-Forest Land.	वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की अधिसूचना भारत का राजपत्र सी.जी.डी.एल.-अ.-20092024-257289 असाधारण भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024 सा.का. नि. 582(अ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन किया गया है, जिसके पैरा 2 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात्- " परंतु यह भी है कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवक्रमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है। (छायाप्रति संलग्न है) (संलग्नक-1) उक्त बाईपास मोटर मार्ग के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि यह मार्ग नेपाल एवं चीन सीमा को जोड़ता है, चीन सीमा के पास सुरक्षा बल तैनात हैं, जिस कारण सामरिक दृष्टि से यह मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बाईपास मोटर मार्ग के बनने से उक्त सीमाओं को जाने वाले सुरक्षा बलों (आई०टी०वी०पी०, सीमा सुरक्षा बल आदि) को जाम एवं दुर्घटनाओं की स्थिति से बचाया जा सकता है।
2	Detailed reclamation plan for muck dumping area shali be submitted.	मलवा डम्पिंग क्षेत्र के लिये विस्तृत सुधार योजना सलमन है। (संलग्नक-2)


3	As per the DSS analysis, the proposed diversion area becomes 23.58 ha. Instead of 8.94 ha. It shall be rectified.	चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग में भूमि निम्न प्रकार प्रभावित हो रही है-					
		A. बाईपास मोटर मार्ग की कुल लं० 9.87 कि०मी० है।					
		B. बाईपास मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 24 मी०					
		C. बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित क्षे० $9.870 \times 2.4 = 23.688$ हे०।					
प्राइवेट भूमि का विवरण-							
क्र.सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण	कुल क्षेत्रफल(हे०)	
1	प्राइवेट	6.370	24	15.288	1.662	16.95	
बाईपास मोटर मार्ग में प्रभावित वनभूमि का विवरण निम्न प्रकार है-							
क्र.सं.	भूमि का प्रकार	लम्बाई (कि०मी०)	चौड़ाई (मी०)	क्षेत्रफल (हे०)	मलुवा निस्तारण	कुल क्षेत्रफल(हे०)	
1	सिविल	1.550	24	3.72	0.19	3.91	
2	वन पंचायत	1.450	24	3.48	0.15	3.63	
3	आरक्षित	0.500	24	1.20	0.20	1.40	
	कुल प्रभावित वन भूमि	3.500	24	8.40	0.54	8.94	
उपरोक्तानुसार बाईपास मोटर मार्ग में कुल भूमि 23.58 हे० प्रभावित न होकर 25.89 हे० प्रभावित हो रही है, जिसमें प्राइवेट भूमि मोटर मार्ग हेतु 15.288 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 1.662 हे० कुल प्राइवेट भूमि 16.95 हे०, वनभूमि में मोटर मार्ग हेतु 8.400 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० कुल 8.940 हे० प्रभावित हो रही है। KML फाईल में सिविल भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, आरक्षित भूमि को हरे रंग से एवं प्राइवेट भूमि को भूरे रंग से दर्शाया गया है। KML अपलोड की गयी है।							

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार अपने स्तर से सूचना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न पत्रानुसार।

भवदीय  
  
 अधिशासी अभियन्ता  
 रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०  
 लोहाघाट  
 दिनांक / / 2024

- संख्या / चारधाम परियोजना/चम्पावत बाईपास  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-
- 1- क्षेत्रीय अधिकारी-मुख्य अभियन्ता भारत सरकार सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय देहरादून।
  - 2- मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० देहरादून।
  - 3- अधीक्षण अभियन्ता रा०मा० वृत्त लो०नि०वि० हल्द्वानी।
  - 4- जिलाधिकारी चम्पावत।
  - 5- सहायक अभियन्ता रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०  
 लोहाघाट

सं. 540/24-01



भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-2009/2024-257289  
CG-DL-E-2009/2024-257289

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]  
No. 540]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2024/भाद्र 20, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2024/BHADRA 20, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 582(अ).— वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2024 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में, उपनियम (1) के तीसरे, चौथे और पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह भी कि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, जब इस उप-नियम के अधीन प्रतिपूरक बनीकरण के लिए अपेक्षित उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिपूरक बनीकरण के लिए अवकमित वन भूमि पर विचार किया जा सकता है, जिसका विस्तार, मामला दर मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों या केन्द्रीय सार्वजनिक



क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के मामले में, प्रस्तावित क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर हो।

3. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर ही यह विधान अनुज्ञात है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3 के सामने कोष्ठक और शब्दों के अधीन "(यह वितरण मामला-दर-मामला आधार पर कैप्टिव कोयला ब्लॉक्स के लिए राज्य के सार्वजनिक के उपक्रम और मामला-दर-मामला आधार पर केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के मामले में है)" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एफसी-11/111/2024-एफसी]

रमेश कुमार पांडेय, वन महानिरीक्षक

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 869(अ), तारीख 29 नवंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th September, 2024

**G.S.R. 582(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, namely: —

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In rule 13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1), for the third, fourth, and fifth proviso, the following proviso, shall be substituted, namely: —**

“Provided also in exceptional circumstances when the suitable land required for compensatory afforestation under this sub-rule is not available, the compensatory afforestation may be considered on degraded forest land which is twice in extent to the area proposed to be diverted in case of the Central Government agencies or Central Public Sector Undertakings or captive coal blocks of State Public Sector Undertakings on a case to case basis”.

**3. In Schedule-II to the said rules, in the table, —**


- (i) The entries against serial number 2, under the brackets and words “(This dispensation is allowed to certain proposals of Central Government and State Government or Union territory Administration only.)” shall be omitted;
- (ii) The entries against serial number 3, under the brackets and words “(This dispensation is in case of State Public Sector Undertakings for captive coal blocks on case to case basis and Central Government Agencies/Central Public Sector Undertakings on case to case basis involving no acquisition of non-forest land)” shall be omitted.

[F. No. FC- 11/111/2024-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 869(E), dated the 29<sup>th</sup> November, 2023.

# PUBLIC WORK DEPARTMENT



NATIONAL HIGHWAY CIRCLE  
P.W.D. HALDWANI  
NATIONAL HIGHWAY DIVISION  
P.W.D. LOHAGHAT

Name of Work : Engineering measure & Biological measure work in muck disposal sites of proposed Champawat bypass .

Estimated Cost :-

121.50 Lac

YEAR :-


2024-2025

## Summary of Estimated Cost

Name of work- Engineering measure & Biological measure work in muck disposal sites of proposed Champawat bypass .

Sl. No.	Items of work	Amount
1	Engineering Measure as per Bill of Quantity	10013671.01
2	Biological Measure as provided by DFO Champawat	2136613.00
	G. Total	12150284.01
	Say (in Lakhs)	121.50

Dhwj  
J.E.

  
Executive Engineer  
National Highway Division, PWD  
Lohaghat

  
A.E.

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास में मलुवा निस्तारण हेतु चयनित डम्पिंग यार्ड में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में  
(वर्ष 2024 - 25)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	संख्या	इकाई	दर	धनराशि	Circle SOR
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य (1000 मी०X5मी०X6मी०X2मी० रो = 60000 वर्गमी०)	1	है०	1118	1118	2.8.1.1
2	क्षेत्र की साधारण झाड़ी सफाई कार्य	1	है०	969	969	2.8.1.2
3	गद्दा खुदान कार्य	500	प्रति गद्दा	24.33	12165	2.8.1.3
4	गद्दा भरान हेतु गोबर खाद क्रय मय दुलान सहित	500	प्रति गद्दा	15	7500	2.8.1.4
5	खाद मिट्टी मिलाकर गद्दा भरान	500	प्रति गद्दा	3.8	1900	2.8.1.5
6	8 फिट ऊंची शोभाकार/छायादार/फूलदार पौध का मूल्य	500	प्रति गद्दा	300	150000	2.8.1.6
7	ट्रक द्वारा पौध दुलान मय लदवायी उतरवायी औसताना 140 कि०मी० दूर से	500	प्रति हजार प्रति कि०मी०	0.39	27300	2.8.1.7
8	पौधरोपण मय थावलाबंदी	500	प्रति पौध	3.42	1710	2.8.1.9
9	ट्री गार्ड मय दो कोट ग्रीन पेंट रंगाई एवं लिखाई क्रय करना बाजार मूल्य पर (साईज 7.5 फिट ऊंचाईX1.5 फिट व्यास न्यूनतम वनज 12.2 कि०ग्रा०)	500	प्रति ट्री गार्ड	1500	750000	2.8.1.10
10	ट्री गार्ड मय लोडिंग/अनलोडिंग	500	प्रति ट्री गार्ड	54	27000	2.8.1.11
11	ट्री गार्ड को सीमेंट क्रंकीट में फिक्स करना 10X20X30 से०मी०	500	प्रति ट्री गार्ड	110	55000	2.8.1.12
12	सुरक्षा हेतु चौकीदार (जनवरी से मार्च तक 03 माह) 02 श्रमिक		प्रति क्षेत्र	9884	59304	2.8.1.14
13	साईन बोर्ड (3"x4")	10	सं०	5000	50000	2.8.1.15
14	अन्य आकस्मिक (व्यय/फोटोग्राफ कार्य से पहले कार्य के दौरान व कार्य के बाद आदि)				43783	
योग प्रथम वर्ष					1187749	
15	लगाये गये पौधों-की सुरक्षा व सिंचाई व्यवस्था हेतु चौकीदार ( अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक) 02 श्रमिक		प्रति क्षेत्र	9884	237216	2.8.1.1
योग द्वितीय वर्ष					237216	
16	लगाये गये पौधों की सुरक्षा व सिंचाई व्यवस्था हेतु चौकीदार ( अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक) 02 श्रमिक		प्रति क्षेत्र	9884	237216	2.8.1.1

*Shahi*  
जे.ई.

*Oh*  
102

				योग तृतीय वर्ष	237216	
17	लगाये गये पौधों की सुरक्षा व सिंचाई व्यवस्था हेतु चौकीदार ( अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक) 02 श्रमिक	प्रति क्षेत्र	9884	237216	2.8.1.1	
				योग चतुर्थ वर्ष	237216	
18	लगाये गये पौधों की सुरक्षा व सिंचाई व्यवस्था हेतु चौकीदार ( अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक) 02 श्रमिक	प्रति क्षेत्र	9884	237216	2.8.1.1	
				योग पंचम वर्ष	237216	
				कुल योग (प्रथम वर्ष+द्वितीय वर्ष+तृतीय वर्ष+चतुर्थ वर्ष+पंचम वर्ष)	21,36,613	
				या	21,36,000	

वन क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग  
चम्पावत वन क्षेत्र

10/11/20  
S.E.


प्रभागिय वन अधिकारी  
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत


10/11/20  
S.E.

Executive Engineer  
National Highway Division, PWD  
Lohayhat

## SPECIFICATION

ALL WORK SHALL BE CARRIED OUT AS PER  
P.W.D. DETAILED SPECIFICATION, M.O.R.T.H.  
SPECIFICATION AND CIRCULARS ISSUED BY CHIEF  
ENGINEER, LEVEL-I, P.W.D. UTTARAKHAND.

  
Assistant Engineer  
National Highway Division ,  
Public Works Department  
Lohaghat (Champawat)

  
Executive Engineer  
National Highway Division ,  
Public Works Department  
Lohaghat (Champawat)

## BILL OF QUANTITY

Name of Work : Engineering measure & Biological measure work in muck disposal sites of proposed Champawat bypass .

Sl. No	Item of work	Qty.	Unit	Rate	Amount (In Rs.)
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	658.13	Cum.	371.50	244495.30
2	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	182.25	Cum.	3790.30	690782.18
3	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	61.00	Cum.	1001.40	61085.40
4	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire (@ 32 Kg/ 10 Sqm) conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301	3881.25	Cum.	2323.30	9017308.13
	<b>Total</b>				<b>10013671.01</b>

*Dhs*  
Junior engineer

*all*  
Assistant Engineer

*huf*  
Executive Engineer  
National Highway Division, PWD  
Lohaghat

## DETAIL OF MEASUREMENTS

Name of Work-protection and Afforestation work in muck disposal sites of proposed Champawat bypass .

Sl. No.	Description of Items	No.	L.	B.	H/D	Quantity	Unit
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification						
i	for gabion wall M-1(Ch 0+250)	1	x 0.5	50.00	1.50	1.50	56.25 Cum.
ii	for gabion wall M-2 (Ch 0+400)	1	x 0.5	40.00	1.50	1.50	45.00 Cum.
iii	for gabion wall M-3 (Ch 1+150)	1	x 0.5	60.00	1.50	1.50	67.50 Cum.
iv	for gabion wall M-4 (Ch 2+200)	1	x 0.5	40.00	1.50	1.50	45.00 Cum.
v	for gabion wall M-5 (Ch 3+600)	1	x 0.5	40.00	1.50	1.50	45.00 Cum.
vi	for gabion wall M-6 (Ch 4+600)	1	x 0.5	50.00	1.50	1.50	56.25 Cum.
vii	for gabion wall M-7 (Ch 5+200)	1	x 0.5	30.00	1.50	1.50	33.75 Cum.
viii	gabion wall M-8 (Ch 5+500)	1	x 0.5	30.00	1.50	1.50	33.75 Cum.
ix	gabion wall M-9 (Ch 6+000)	1	x 0.5	30.00	1.50	1.50	33.75 Cum.
x	gabion wall M-10 (Ch 7+100)	1	x 0.5	40.00	1.50	1.50	45.00 Cum.
xi	gabion wall M-11 (Ch 7+500)	1	x 0.5	30.00	1.50	1.50	33.75 Cum.
xii	gabion wall M-12 (Ch 7+600)	1	x 0.5	40.00	1.50	1.50	45.00 Cum.
xiii	gabion wall M-13 (Ch 8+000)	1	x 0.5	30.00	1.50	1.50	33.75 Cum.
xiv	gabion wall M-14 (Ch 8+800)	1	x 0.5	20.00	1.50	1.50	22.50 Cum.
xv	gabion wall M-15 (Ch 9+300)	1	x 0.5	30.00	1.50	1.50	33.75 Cum.
xvi	gabion wall M-16 (Ch 9+500)	1	x 0.5	25.00	1.50	1.50	28.13 Cum.
						<b>Total</b>	<b>658.13 Cum.</b>
2	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification						
	toe wall M-12	1	x 1	40.00	(1.50+1.20)/2	1.50	81.00 Cum.
	toe wall M-14	1	x 1	20.00	(1.50+1.20)/2	1.50	40.50 Cum.
	toe wall M-15	1	x 1	30.00	(1.50+1.20)/2	1.50	60.75 Cum.
						<b>Total</b>	<b>182.25 Cum.</b>
3	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)						
				approx 1/3rd of Quantity of R.R.1:6 masonry		61.00	Cum.
						<b>Total</b>	<b>61.00 Cum.</b>
4	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire (@ 32 Kg/ 10 Sqm) conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301						
	for gabion wall M-1(Ch 0+250)	1	x 2	50.00	1.50	1.50	225.00 Cum.
	for gabion wall M-2 (Ch 0+400)	1	x 3	40.00	1.50	1.50	270.00 Cum.
	for gabion wall M-3 (Ch 1+150)	1	x 4	60.00	1.50	1.50	540.00 Cum.
	for gabion wall M-4 (Ch 2+200)	1	x 2	40.00	1.50	1.50	180.00 Cum.
	for gabion wall M-5 (Ch 3+600)	1	x 4	40.00	1.50	1.50	360.00 Cum.
	for gabion wall M-6 (Ch 4+600)	1	x 4	50.00	1.50	1.50	450.00 Cum.
	for gabion wall M-7 (Ch 5+200)	1	x 3	30.00	1.50	1.50	202.50 Cum.
	gabion wall M-8 (Ch 5+500)	1	x 4	30.00	1.50	1.50	270.00 Cum.
	gabion wall M-9 (Ch 6+000)	1	x 2	30.00	1.50	1.50	135.00 Cum.
	gabion wall M-10 (Ch 7+100)	1	x 3	40.00	1.50	1.50	270.00 Cum.
	gabion wall M-11 (Ch 7+500)	1	x 3	30.00	1.50	1.50	202.50 Cum.
	gabion wall M-12 (Ch 7+600)	1	x 2	40.00	1.50	1.50	180.00 Cum.
	gabion wall M-13 (Ch 8+000)	1	x 2	30.00	1.50	1.50	135.00 Cum.



Sl. No.	Description of Items	No.			L.	B.	H/D	Quantity	Unit
	gabion wall M-14 (Ch 8+800)	1	x	2	20.00	1.50	1.50	90.00	Cum.
	gabion wall M-15 (Ch 9+300)	1	x	2	30.00	1.50	1.50	135.00	Cum.
	gabion wall M-16 (Ch 9+500)	1	x	3	25.00	1.50	1.50	168.75	Cum.
							<b>Total</b>	<b>3881.25</b>	<b>Cum.</b>

*Joshi*  
Junior Engineer


*ou*  
Assistant Engineer

## ANALYSIS OF RATES

Name of work- protection and Afforestation work in muck disposal sites of proposed Champawat bypass

Note : (Rates are taken from SOR Uttarakhand) - Block No-74(B) Champawat (B) (e.f. 03-10-2022)

Sl. No.	S.O.R. Reference	Description of Items	Unit	Rate
1	1-2 (Miscellaneous)	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus-material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	Cum	371.50
2	1-4 (Miscellaneous)	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	Cum	3790.30
3	1-5 (Miscellaneous)	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	Cum	1001.40
4	14-2 (MORD)	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire (@ 32 Kg/ 10 Sqm) conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301	Cum	2323.30

  
J.E.

  
A.E.

**PWD UTTARAKHAND**  
**SCHEDULE OF RATES**

SOR :- MORD  
For Block 74-B Champawat -B

Year :- 2022-23  
Effective From:-03-10-2022

Sl. No.	Description	Rate	Unit
<b>Chapter 14 - PROTECTION WORKS</b>			
14-1	Providing and laying boulder apron for bed protection with stone boulders of minimum size and weight as per Table 1300.1, no fragment weighing less than 25 kg laid dry complete as per drawing and technical specifications Clause 1301  <i>Note :-Nominal excavation required for preparation of bed has been taken into account while making provisions for labour.</i>	1464.00	Cum
14-2	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire (@ 32 Kg/ 10 Sqm) conforming to IS:280 and IS:4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301  <i>Note :-1. Nominal cost of trimming for preparation of bed has been included in the cost of labour 2. The analysis will be by &amp; large hold good for gabions</i>	2323.30	Cum
14-3	Providing and laying of apron with cement concrete blocks of size as per Table 1300.1 cast-in-situ and made with nominal mix of M-15 grade cement concrete as per drawing and technical specifications Clause 1301	6354.20	Cum
14-4	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5		
14-4-A	Driven at least 900 mm below ground and 1200 mm above ground	789.50	Rmt
14-4-B	Driven at least 900 mm below ground and 900 mm above ground on average	631.20	Rmt
14-5	Providing and laying pitching on slopes laid over prepared filter media as per drawing and technical specifications Clause 1302		
14-5-1	Stone/Boulder	1464.00	Cum
14-5-2	Cement concrete blocks of size as per Table 1300.2 cast in cement concrete of grade M 15	6354.20	Cum
14-5-3	Brick pitching set in cement mortar 1:4	7174.90	Cum
14-6	Providing and laying filter material underneath pitching in slopes complete as per drawing and technical specifications Clause 1302  <i>Note:-Labour cost includes labour required for trimming of slope to proper profile and preparation of bed.</i>	3080.80	Cum
14-7	Providing and laying flooring laid over cement concrete bedding complete as per drawing and technical specification Clause 1303 (Cement concrete bedding M-10 to be taken as per design and Paid Separately)		

*[Signature]*  
JE

*[Signature]*



PWD UTTARAKHAND  
SCHEDULE OF RATES

SOR - MISCELLANEOUS  
For Block 74-B Champawat -B

Year :- 2022-23  
Effective From:-03-10-2022

Sl. No.	Description	Rate	Unit
---------	-------------	------	------

**CHAPTER-1 - General Items**

1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without useing Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	70.60	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	24.50	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer)		
	Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	108.60	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer, lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause	289.80	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	48.10	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	371.50	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	2,165.60	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	3,790.30	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,001.40	Cum
1-6	Construction of cochie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,420.90	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)		
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	1,707.20	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG	1,907.90	Cum
1-8	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, edge/selvedge wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	8,083.10	No.

①

②

③

DMS  
JE

Qh


परियोजना का नाम:-


चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

### एन०पी०वी० की धनराशि का आँकलन


प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या File No. 5-3/2011-एफ०सी०(VOI-1) दिनांक 06-01-2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी-	5
2. हरियाली का घनत्व-	0.60
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०-	1292850.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	8.94 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि-	1,15,58,079.00 (एक करोड़ पन्द्रह लाख अठान्न हजार उनासी मात्र)

  
चन्दन कुमार  
चम्पावत

  
चम्पावत वनाधिकारी  
चम्पावत

ह०/-

  
प्रभागीय वनाधिकारी